तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी [illegible] नम्बर
24.3.21	पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी ने प्रा०पत्र 07R11 एवं तरमिम धारा 151 CPC का जवाब पेश न कर बहस करनी चाही। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 07R11 द्वारा निवेदन किया गया था कि वादी की ओर से धारा 92A RTA के प्रावधानों के तहत उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में व्यादेश का अनुतोष चाहा है प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है तथा वादी को राज. काश्त अधिनियम के तहत वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है ना ही धारा 92A RTA के तहत वादी का वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में आता है। तथा वाद को निरस्त करने का निवेदन किया।	
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस प्रा० पत्र 07R11 पर मनन किया गया चूंकि वाद-पत्र अन्तर्गत धारा -92A के तहत पेश किया गया है। वादी द्वारा चाहा गया इकरारनामा के आधार पर अनुतोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने एवं विधि अनुसार [illegible] होने के प्रा० पत्र 07R11 एवं तरमिम [illegible] स्वीकार किया जाकर वाद-[illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर होकर नं. से कम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kuma
Date: 2021.05.10 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़